

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना।

भोपाल, दिनांक 31 मई, 2005

फा क्रमांक 1(3)2 / 95 / 21-व(दो) - राज्य शासन एतद्वारा उच्च न्यायालय के समस्त शासन की ओर से पक्ष समर्थन करने वाले उन विधि अधिकारियों के लिये जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में वर्णित है, उनके नाम के समुख कॉलम (3) में दर्शायी गई वर्तमान रिटेनर फीस को पुनरीक्षित कर, कॉलम (4) में मासिक पारिश्रमिक (रिटेनर फीस) के रूप में दिनांक एक जून, 2005 से नियत करता है।


सारणी

क्र.	पदनाम	वर्तमान निश्चित मासिक पारिश्रमिक	पुनरीक्षित निश्चित मासिक पारिश्रमिक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	महाधिवक्ता	रुपये 26,000/- (रु छब्बीस हजार केवल)	रुपये 30,000/- (रु तीस हजार केवल)
2.	अति. महाधिवक्ता	रुपये 21,000/- (रु इक्कीस हजार केवल)	रुपये 25,000/- (रु पच्चीस हजार केवल)
3.	उप. महाधिवक्ता	रुपये 19,000/- (रु उन्नीस हजार केवल)	रुपये 23,000/- (रु तेईस हजार केवल)
4.	शास.अधिवक्ता / अति.शास.अधिवक्ता	रुपये 17,000/- (रु सत्रह हजार केवल)	रुपये 20,000/- (रु बीस हजार केवल)
5.	उप.शास.अधिवक्ता	रुपये 15,000/- (रु.पन्द्रह हजार केवल)	रुपये 17,000/- (रु.सत्रह हजार केवल)

उक्त व्यय मांग संख्या 29--2014-न्याय प्रशासन (114) कानूनी सलाहकार और परिषद- (3428) महाधिवक्ता 01-वेतन-001-अधिकारियों का वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

वित्त विभाग के यू.ओ.क्र.513/पक्रप/चार, दिनांक 27/05/2005 द्वारा सहमति प्रदान की गयी है। अतः यह प्रशासकीय विभाग इस आदेश को वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत महालेखाकार, ग्यालियर को पुष्टांकित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



(राधेन्द्र कुगार सिंह)

अतिरिक्त सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रं १(३)२ / ९६ / २१ घ(दो)


गोपाल ठाकुर (०५.०८.२००५)

प्रतिलिपि :-

- १ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग (बजट-६) भोपाल के मार्ग में गुरुवार
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- २ महालेखाकार, मध्यप्रदेश लेखा एवं हकदारी गवालियर की ओर दो अतिरिक्त प्रतिलिपि
सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- ३ उप निगंत्रक शासन केन्द्रीय गुदण्णालय अरेस हिल्स भोपाल की ओर राजपत्र का
प्रकाशित करने हेतु।
- ४ महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर।
- ५ अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, खण्डपीठ इन्दौर/गवालियर।
- ६ समस्त शासकीय अधिवक्ता/अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता तथा उप शासकीय
अधिवक्ता जबलपुर/इन्दौर/गवालियर की ओर सूचनार्थ।

बजट शाखा/स्थापना शाखा/आपराधिक शाखा/सिविल शाखा/याचिका शाखा
विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(कै.जैन)

आवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग